न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 125/2024

अनवान : –

1. बेअंत कौर पुत्री साधुसिंह पत्नी पवीत कुमार जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील मेहना (पंजाब)।

– वादीया

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्डा(पंजाब)
2. जगतार सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्टा (पंजाब)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 39/39 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज है जो कि वादीया का दादा है गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह का देहान्त हो चुका है तथा गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज है जो कि वादीया का दादा है गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह का देहान्त हो चुका है तथा गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 39/39 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादीया के दादा गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह का देहान्त हो चुका है तथा गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है, वादीया के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 39/39 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जकार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 125/2024
अनवान : –

1. बेअंत कौर पुत्री साधुसिंह पत्नी पवीत कुमार जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील मेहना (पंजाब)।

– वादीया

बनाम्

1. साधुसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्डा(पंजाब)
2. जगतार सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी अतरसिंह वाला तहसील भटिण्टा (पंजाब)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 125 सन 2024 निर्णय दिनांक – 26/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 39/39 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक गुरदेव सिंह पुत्र हरदेव सिंह का नाम कलमजन किया जकार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल् दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:33 IST
Reason: SelfAttested